[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 33/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा0का0नि0.... (अ)- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 259, तारीख 11 अक्तूबर, 1958, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 927(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 1958 में प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, ऐसे चैलेंज कपों या ट्राफियों को-

(क) जिन्हें भारत में रक्षा बलों की किसी यूनिट द्वारा या किसी ऐसी प्रतिस्पर्धा, जो भारत में ठहरी हुई यूनिटों या यूनिटों के सदस्यों तक सीमित नहीं है, में ऐसी यूनिट के किसी विशिष्ट सदस्य या सदस्यों द्वारा जीता गया है ; या

(ख) जिनका पुन: आयात किया जा रहा है और जो निर्यात किए जाने से पूर्व ऊपर उल्लिखित शर्त को पूरा न करने वाली प्रतिस्पर्धा में किसी ऐसी यूनिट या यूनिट के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा जीता गया था ; या

(ग) जिन्हें ऐसी यूनिटों या ऐसी यूनिटों के सदस्यों को प्रस्तुत करने के लिए या उनमें प्रतिस्पर्धा के लिए विदेशी दाता निवासी द्वारा भेजा गया है ;

भारत में उनके आयात किए जाने पर, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है :

परंतु ऐसी वस्तुएं, जिनके लिए नि:शुल्क प्रवेश का दावा किया जाता है, जिनके बारे में यूनिट या ब्रिगेड की कमान करने वाले अधिकारी या किसी उच्चतर सेना प्राधिकारी या उनके किसी स्टाफ आफिसर द्वारा प्रतिस्पर्धा के लिए प्रस्थापना की हुई या प्रोत्साहक सैन्य दक्षता के एकमात्र या मुख्य लक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया हुआ प्रमाणित किया गया है :

परंतु यह और कि कपों या ट्राफियों को भेजे जाने से पूर्व उन पर वह उद्देश्य, जिनके लिए उन्हें प्रस्तुत किया गया था और उन कपों या ट्राफियों की दशा में के सिवाय, जिन्हें विजेता या विजेताओं के नाम में प्रतिस्पर्धा के लिए विदेशी निवासी दाता भेजा गया था, उत्कीर्ण किया था ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(फा. सं. 354/119/2017-टीआरयू)

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार